

बिहार सरकार
कृषि विभाग

सचिका संख्या-2(गो0)सी0-2-123/17- /कृ0, पटना, दिनांक-

2017

संकल्प

चूँकि बिहार के राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धन अर्जन के आरोप में विशेष निगरानी इकाई, थाना कांड संख्या-03/17 दिनांक-17.08.2017 धारा-13 (2) सह-पठित 13 (1) (e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 दर्ज किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि श्री रजक द्वारा कुछ अनियमितताएं की गई हैं, जिसके सिद्ध होने पर उन्हें वृहद दण्ड दिया जा सकेगा।

2. अतएव बिहार राज्यपाल ने यह निर्णय लिया है कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17 से 21 में विहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री रजक के विरुद्ध प्रपत्र "क" में वर्णित आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जाए।

3. श्री रजक के विरुद्ध प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अनुलग्नक के साथ श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)

सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:-

/कृ0, पटना, दिनांक-

2017

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संकल्प प्राप्ति की तिथि से तीन माह के अन्दर कार्रवाई समाप्त कर अपना मंतव्य विभागीय कार्यवाही के सभी मूल कागजातों के साथ इस विभाग को उचित आदेश के लिए भेज दें। विभागीय कार्यवाही की तिथि, समय एवं स्थान से आरोपित पदाधिकारी श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को पूर्व में अवगत करा दें ताकि समय पर गवाह इत्यादि प्रस्तुत कर सकें।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

निबंधित

ज्ञापांक:-

/कृ०, पटना, दिनांक-

2017

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना-सह-प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुरोध है कि विभागीय कार्यवाही सम्पन्न करने में अपने स्तर से पूर्ण सहयोग देने का कष्ट करें।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

/कृ०, पटना, दिनांक

2017

निबंधित

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री बैद्यनाथ रजक, तत्कालीन संयुक्त निदेशक (शष्य), सारण प्रमंडल, छपरा सम्प्रति निलंबित मुख्यालय संयुक्त निदेशक (शष्य), भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक

/कृ०, पटना, दिनांक

2017

प्रतिलिपि- अवर सचिव, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव,

ज्ञापांक:-

/कृ०, पटना, दिनांक-

2017

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 224 अनु०, दिनांक-17.08.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

/कृ०, पटना, दिनांक-

2017

प्रतिलिपि:-कृषि निदेशक/विशेष सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक:-

/कृ०, पटना, दिनांक-

2017

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री कृषि के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक

961

/कृ०, पटना, दिनांक

25-09-2017

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव,